

राजस्थान सरकार


निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (203/56) लेखा/आकाशि/अनु/04/1624

दिनांक: 20.6.13


संशोधन आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1901 दिनांक 30.05.2008 के क्रम में आस्था महाविद्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, पीपल्स रोड, इटावा, कोटा की रात्र 2008-09 से रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में 'पूर्व में संचालित विधि संकाय' के स्थान पर 'पूर्व में संचालित विषय एवं संकाय' पढ़ा जावे।


निदेशक
कालेज शिक्षा राज0.
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख धारण सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (अनुदान)